न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 107/2020
3. उनवान : सरकार जरिये रामस्वरुप जाट, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. मैसर्स राठी ब्रदर्स, पीडीएस केरोसीन थोक विक्रेता जयपुर।
2. श्री श्याम दास राठी, श्री कृष्णगोपाल राठी, श्रीमती दुर्गा देवी राठी पार्टनर फर्म निवासी 1442, बारह गणगौर का रास्ता जयपुर।
3. श्री रामदेव सैन पुत्र श्री लक्ष्मण राम निवासी ग्राम धान, पो. लोढसर, तहसील सुजानगढ, चुरु हाल टैंकर चालक मैसर्स राठी ब्रदर्स जयपुर।
4. श्री नानूराम यादव उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत भामोद तहसील विराटनगर जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 14.02.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री मुरारी लाल गुप्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
   स) अधिवक्ता श्री दीप कुमार अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, विराटनगर श्री रामस्वरुप जाट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 24.09.2008 को प्राप्त शिकायत जिसमें कहा गया कि मैसर्स राठी ब्रदर्स थोक विक्रेता पीडीएस केरोसीन जयपरु द्वारा तहसील क्षेत्र विराटनगर में पीडीएस केरोसीन तेल आपूर्ति हेतु दिनांक 23–9–2008 को आयल डिपो जयपुर से उठाव कर उचित मूल्य दुकानदारों को नहीं देकर अन्यत्र कालाबाजारी कर दुरुपयोग किया जा रहा है, कि जांच करने जांच दल के साथ ग्राम भामोद, तहसील विराटनगर पंहुचे। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का टैंकर नम्बर आरजे–14–1जी–9460 अप्रार्थी संख्या 4 की दुकान के बाहर खडा हुआ पाया गया। टैंकर के चालक व खलासी से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उक्त टेंकर दिनांक 23–9–2008 को आईओसी के जयपुर डिपो से भरकर विराटनगर के उचित मूल्य दुकानदारों को खाली करने भेजा गया था। मौके पर टेंकर खाली मिला। चालक द्वारा लाये गये केरोसीन की बिल बुक व पहुंच रसीद प्रस्तुत की गई तथा अन्य दस्तावेज कार्यालय में होना बताया। बिल बुक की जांच करने पर बिल क्रमांक 7492 का मूल बिल कार्बन कापी सहित बिल बुक में ही पाया गया तथा प्राप्तकर्ता श्री हेमराज के हस्ताक्षर अंकित होना पाया गया, जो चालक द्वारा स्वयं करना बताया गया। पूछताछ में चालक ने बताया कि अन्तिम दुकानदार हेमराज को 2400 लीटर केरोसीन देना था जबकि अन्त में हेमराज के यहां 1700 लीटर केरोसीन ही खाली किया जो टेंकर में बचा था क्योंकि 700 लीटर केरोसीन उसने ग्राम भामोद के डीलगर नानूराम को 21 प्रति लीटर की दर से अवैध रुप से बेच दिया था। चालक ने जब 2400 लीटर के बजाय 1700 लीटर केरोसीन ही हेमराज के यहां खाली किया तो उसने 2400 लीटर केरोसीन के बिल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और बचा हुआ केरोसीन देने पर ही हस्ताक्षर करने को कहा। इसलिये डीलर नानूराम से उक्त 700 लीटर केरोसीन वापस लेने आये थे। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 4 की दुकान में जांच करने पर कुल 700 लीटर केरोसीन 4 ड्रमों में भरा हुआ पाया गया जबकि आमद–एफद रजिस्टर के अनुसार भौतिक स्टॉक शून्य होना चाहिये था। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवैध रुप से भण्डारित 700 लीटर केरोसीन, दो लोहे के ड्रम खुला मुह, एक प्लास्टिक ड्रम व एक आधा कटा लोहे का ड्रम जब्त किया गया। प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, एफ. आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण करने की कृपा करें।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मुरारी लाल गुप्ता व अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दीप कुमार द्वारा उपस्थिति दी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से दिनांक 04.11.2008 को जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 एवं 2/5 के अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही का निर्णय लिया गया। दिनांक 07.02.2023 को अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया है कि उक्त जब्त माल से उसका कोई सरोकार नहीं है। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब को ही बहस मानने का निवेदन किया। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 14.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 24.09.2008 को जब्त राशन के केरोसीन को अवैध रुप से भण्डारण व विक्रय किया जा रहा था। टैंकर चालक द्वारा टैंकर आईओसी जयपुर से भरकर उचित मूल्य की दुकानों पर पंहुचाया जाना था, लेकिन उसने अवैध रुप से रास्ते में उसे अप्रार्थी संख्या 4 को बेच दिया। अप्रार्थी संख्या 4 की दुकान पर भौतिक सत्यापन में क्रय–विक्रय रजिस्टर की तुलना में 700 लीटर अधिक पाया गया जो कि उतना ही था जितना टैंकर चालक ने अन्तिम उचित मूल्य दुकानदार को कम दिया एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पास उससे सम्बन्धित कोई वैध दस्तावेज भी नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थीगण द्वारा उक्त केरोसीन का अवैध व्यापार करना सिद्व होता है। अप्रार्थीगण का ऐसा कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में दिनांक 24.09.2008 की कार्यवाही के दौरान जब्त 700 लीटर केरोसीन, दो लोहे के ड्रम खुला मुह, एक प्लास्टिक ड्रम व एक आधा कटा लोहे का ड्रम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर